मेरी आवाज सुनो...

भज्जावाला से खैरुल्लापुर जाने वाली सड़क टूटी

गांव भज्जावाला से खैरुल्लापुर जाने वाली करीब एक किमी लंबा सड़क काफी समय से क्षतिग्रस्त है। सड़क में गहरे गड्ढे हो गए हैं। सड़क पर जलभराव के चलते आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार जनप्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों से कहने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। - गांववासी कुलजीत सिंह भज्जावाला अफजलगढ़

आप भी भेज सकते हैं अपने क्षेत्र की ऐसी किसी समस्या की जानकारी जो लोकहित से जुड़ी हो और जिसकी सुनवाई न हो रही हो।

मेल आईडी

mrt-dakincharge@mrt.amarujala.com

व्हाट्सएप - 9193786726

तीन दशक से बदहाल सड़क, कहीं गहरे गड्ढे, बजरी भी उखड़ी

पड़ताल

कादराबाद-कालागढ़ मार्ग से हिदायतपुर तक दो से तीन किमी सड़क जर्जर

संवाद न्यूज एजेंसी

कादराबाद। कादराबाद-कालागढ़ मार्ग से पत्थरवाला होते हुए हिदायतपुर गांव तक जाने वाले करीब दो से तीन किलोमीटर लंबे मार्ग का है। तीन दशक बीत गए, लेकिन सड़क की सूरत नहीं बदली। कहीं गहरे गड्ढे हैं तो कहीं सड़क से पत्थर और बजरी उखड़ कर बाहर निकल आए हैं।

जर्जर सड़क पर दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने सुध नहीं ली। अब ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से सड़क निर्माण कराने की मांग की है।

ग्राम पत्थरवाला, हिदायतपुर, टांडा, पुरुषवाला, फूलताल और गढ़ी समेत कई गांवों के लोगों के लिए यह मार्ग आवागमन का प्रमुख रास्ता है। सड़क खराब होने से किसानों को गन्ने की ढुलाई में परेशानी हो रही है, वहीं स्कूली बच्चों को भी रोजाना जोखिम उठाकर गुजरना पड़ता है। बरसात में गड्ढों में करीब दो-दो फीट पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है।

ग्रामीण सुनील कुमार का कहना है कि सड़क पर कंकड़-पत्थर निकल आए हैं। स्कूली बच्चे फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। साइकिल निकालना तक मुश्किल हो गया है। बार-बार मांग के बावजूद सड़क नहीं बनी।

किसान चंद्रमोहन सिंह का कहना है कि गहरे गड्ढों में गन्ने से भरे वाहनों को निकालने में परेशानी होती है। वाहन फंसने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सड़क का निर्माण जरूरी है।

ग्रामीण जगदीश सिंह ने बताया कि चुनाव के समय नेता आते हैं और सड़क बनवाने के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई सुध नहीं लेता। पत्थर-बजरी उखड़ने से आवागमन मुश्किल हो गया है।

किसान धन सिंह ने कहा कि सड़क बनवाने के लिए एसडीएम और विभागीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब मार्ग का निर्माण कराया जाना चाहिए।

किसान दिगराज सिंह ने कहा कि पुलिया से हिदायतपुर तक सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है। कई बार मांग के बाद भी निर्माण नहीं हुआ। अब जल्द सड़क बननी चाहिए।

उप जिलाधिकारी नितिन कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित विभाग को निर्देशित कर जल्द सड़क की समस्या का निस्तारण कराया जाएगा।

सुनील कुमार | चंद्रमोहन | जगदीश सिंह | धन सिंह | दिगराज सिंह

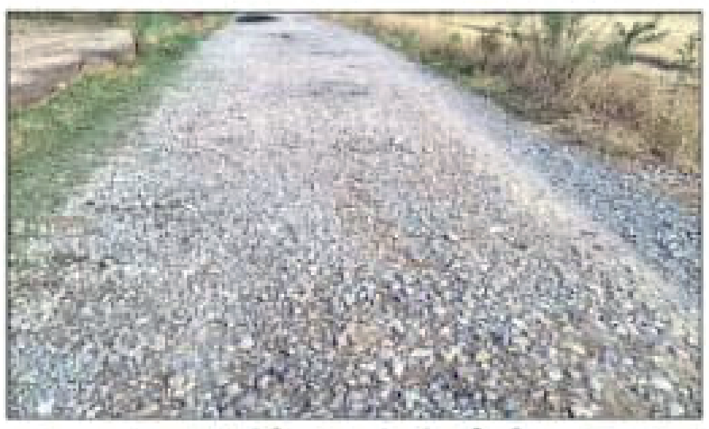

कादराबाद में पत्थरवाला से हिदायतपुर को जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क। संवाद

अपराध संक्षेप

पड़ोसियों पर मारपीट और अभद्रता का आरोप

अफजलगढ़। गांव मुआजवाला निवासी छाया कुमारी ने तहरीर में बताया कि आपस में कहासुनी हो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही राजू, मदन, अंकित, रवि कुमार, चंदू और बबलू ने उसके घर आकर उसकी दिव्यांग मां संतोष देवी और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और अभद्रता की। घटना में उसे चोटें आई हैं और आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सीओ आलोक सिंह ने बताया कि छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

महिला ने दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप

बास्टा। गांव बमनौली की मढ़ैया निवासी प्रिया शर्मा पुत्री योगेश ने तहरीर में बताया कि उसकी शादी तरुण शर्मा निवासी गांव सिंहपुर सादात संभल के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी में उसके माता-पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दान दहेज दिया था। दहेज से खुश न होकर पति, ससुर, सास देवर देवरानी, ननद, नंदोई, लगातार दहेज की मांग कर मानसिक उत्पीड़न करते रहे। परेशान होकर वह करीब डेढ़ वर्ष से मायके आ गई थी। कुछ समय पहले सामाजिक लोगों के प्रयास से वह दोबारा ससुराल गई लेकिन पति के नशे का आदी होने के कारण उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। आरोप है कि 15 दिन पहले तरुण शर्मा ने उसके साथ मारपीट की। सीओ देश दीपक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

ससुरालियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

बास्टा। गांव छजुपुरा निवासी प्रियंका सिंह पुत्री विजयपाल सिंह ने तहरीर में बताया कि उसकी शादी अनुराग सिंह निवासी ग्राम रुकनपुर के साथ हुई थी। पति अनुराग सिंह एक निजी फार्मेसी कंपनी काशीपुर में नौकरी करता है। आरोप है कि पति का दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध चल रहा है। जब से उस औरत से संबंध बने हैं तब से पति उसे मारपीट, जान से मारने की धमकी और दहेज को लेकर परेशान कर रहा है। पीड़िता की शादी में उसके पिता ने लगभग 20 से 22 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप लगाया कि पति, ससुर, सास, ननद एवं छोटी ननद उसका उत्पीड़न करते हैं। सीओ देश दीपक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक का आरोप लगाया

अफजलगढ़/रेहड़। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा लालबाग निवासी गुलफाने पुत्री शमसुद्दीन ने बताया कि करीब 10 वर्ष पूर्व उसकी शादी रेहड़ निवासी मेहराज के साथ हुई थी। शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया गया था। आरोप है कि कुछ समय बाद से पति मेहराज, सास हमीदा, ससुर शौकत अली, देवर शहजाद, सलीम और ननद समरीन दहेज में 5 लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न करने पर मारपीट व मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। चार बच्चों की खातिर वह सब सहती रही। आरोप है कि उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति किसी अन्य महिला को पसंद करता है। 23 सितंबर को सभी आरोपियों ने एक राय होकर उसकी पिटाई की, आसपास के लोगों ने उसे बचाया। इसके बाद पति ने उसे तीन तलाक देकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तभी से वह अपने मायके में रह रही है। सीओ आलोक सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

रेलवे की जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए घेराबंदी अभियान

नूरपुर मार्ग के किनारे पक्की दीवार का निर्माण कार्य शुरू

संवाद न्यूज एजेंसी

धामपुर। धामपुर में अब रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा नहीं हो पाएगा। रेलवे अधिकारियों ने सरकारी जमीन की घेराबंदी के लिए अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही नूरपुर मार्ग के किनारे पक्की दीवार का निर्माण शुरू कर दिया गया है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि धामपुर में विभाग की काफी सरकारी खाली जमीन पड़ी है। इस जमीन पर गांव जैतरा चुंगी, नूरपुर मार्ग पर गांव जैतरा के सामने व नहटौर रेलवे फाटक के पास अधिकांश लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध कब्जे कर रखे हैं।

विभाग की ओर से नूरपुर मार्ग के किनारे अतिक्रमण को हटाया कर वहां दीवार का निर्माण शुरू कर दिया गया है ताकि कोई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा न कर सके। बता दें कि आरपीएफ की ओर से रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कई बार अभियान चलाया गया लेकिन कभी सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं ने विरोध कर अभियान को रुकवा दिया। अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आदेश पर रेलवे की ओर से अभियान को चलाया जा रहा है।

आईओडब्ल्यू पंकज कुमार का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई चल रही है। इसलिए जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा कर रखा है तो वह खुद हटा लें अन्यथा विभाग की ओर से अभियान चलाकर हटवा दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी।

धामपुर में रेलवे की ओर से नूरपुर मार्ग पर बनाई जा रही पक्की दीवार। संवाद

डेढ़ साल के बच्चे को पाने के लिए भटक रही मां

बिजनौर/नगीना। डेढ़ साल के बच्चे को ससुराल पक्ष द्वारा अपने पास रखे जाने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने एसपी से शिकायत की और बच्चे को उसके सुपुर्द कराने की गुहार लगाई है।

प्रार्थना पत्र में ओमवती वर्मा ने बताया कि वह नगीना थाने के कई बार चक्कर काट चुकी है लेकिन डेढ़ वर्ष का बच्चा उन्हें नहीं मिल पाया। महिला के अनुसार, 20 अगस्त को दी गई तहरीर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने बताया कि मां होने के नाते वह अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। उसने एसपी से मामले में हस्तक्षेप करते हुए बच्चे को शीघ्र उसके सुपुर्द कराने तथा उसे बच्चे से दूर रखने और उत्पीड़न करने के आरोपों की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई कराने की मांग की है।

महिला का कहना है कि पुलिस ने उसे रविवार को नगीना थाने बुलाया था। वह मुरादाबाद से नगीना पहुंची लेकिन उसकी कोई मदद नहीं हो सकी। सीओ राजेश कुमार सोलंकी का कहना है कि यह पति-पत्नी के बीच का विवाद है। मामले की जांच के बाद पीड़ित पक्ष की पूरी मदद की जाएगी। संवाद

नए फोन के लिए सुहागपुर में टावर पर चढ़ा युवक

संवाद न्यूज एजेंसी

धामपुर। नया मोबाइल फोन दिलाने के लिए परिवार से विवाद के बाद गांव सुहागपुर में 25 वर्षीय युवक सोनू बिजली के पावर ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

पुलिस ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आरोपी को नीचे उतारा और पूछताछ के बाद चालान कर दिया। सोनू शादीशुदा है। गांव के लोगों ने बताया कि युवक नशे का आदी है।

थानाध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी युवक कई बार मोबाइल फोन बेच चुका है या फिर किसी दुकान पर गिरवी रख चुका है। परिवार के लोग कई बार फोन छुड़ा चुके हैं लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। रविवार को भी आरोपी ने परिवार के लोगों से नया फोन लेने को विवाद किया। बात नहीं बनी तो दबाव बनाने को टावर पर चढ़ गया। जैसे ही 112 नंबर पर पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची।

ग्राम सुहागपुर में बिजली के टावर पर चढ़ा युवक। स्रोत : पुलिस विभाग

धामपुर में लोक निर्माण विभाग के आवासीय परिसर में भरे बारिश के पानी को पंप लगाकर निकाला जा रहा है। । संवाद

आवासीय परिसर में भरा पानी

धामपुर। धामपुर के लोक निर्माण विभाग के आवास परिसर में कई फीट बारिश का पानी जमा है। इस वजह से सरकारी आवासों में परिवार के साथ निवास कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोक निर्माण विभाग का आवासीय परिसर सड़क से कई फीट गहरा होने के कारण हल्की सी बारिश होने के बावजूद पानी जमा हो जाता है। हालांकि बारिश को थमे हुए कई दिन बीत गए हैं। लेकिन आवास से परिसर में अभी भी पानी जमा है और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में परिसर में बारिश के एकत्र पानी को बाहर करने के लिए पंप के जरिए निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार का कहना है कि बारिश का पानी नहीं सूखा तो उन्हें मजबूरी में पंपिंग सेट लगाकर पानी बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार बारिश के कारण सभी आवास एवं कार्यालय भवन टपकने शुरू हो गए थे, जिसमें रहना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने बताया कि आवास काफी पुराने होने के कारण रहने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार कर नए तरह से आवास भवनों को बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। संवाद

ओपीडी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज में ओपीडी

ओपीडी का समय सुबह आठ से दोपहर 2:00 बजे तक

मानसिक रोग विभाग- कक्ष नंबर 06
- डॉ. नितिन कुमार

बाल रोग विभाग- कक्ष नंबर 127
- डॉ. सुनील मलिक
- डॉ. अर्पित

हड्डी रोग विभाग- कक्ष नंबर 130
- डॉ. शिवांशु

मेडिसिन विभाग- कक्ष नंबर 125
- डॉ. राकेश कुमार डाबर
- डॉ. नवदीप
- डॉ. आशीष

नेत्र रोग विभाग- कक्ष नंबर 106
- डॉ. अनुज कुमार

सर्जरी विभाग- कक्ष नंबर 120
- डॉ. दिनेश गोस्वामी
- डॉ. पामीर बेग

त्वचा रोग विभाग- कक्ष नंबर 122
- डॉ. रतन सिंह

टीबी रोग विभाग- कक्ष नंबर 25
- डॉ. तुषार सिंह
- डॉ. अभिषेक चौधरी

महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का हेल्पलाइन नंबर 7668353944 और 8126463620 है।

सर्प दंश से युवक की हालत बिगड़ी

नूरपुर। रविवार की सुबह करीब 11:10 बजे मोहल्ला रामनगर निवासी अशोक कुमार (40) किसी काम से घर से बाहर निकले तभी घर के मुख्य दरवाजे के पास बैठे सांप ने उन्हें काट लिया। पीड़ित के चीखने चिल्लाने की आवाज पर परिजनों ने उन्हें आनन-फानन में उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे एंटी स्नेक वेनम लगाया। इसके बाद खतरे से बाहर बताते हुए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। सीएचसी प्रभारी डॉ. अजय गंधर्व ने नागरिकों से सर्प दंश के मामले में झाड़ फूंक से बचने की अपील करते हुए समय से इलाज की सलाह दी है। संवाद

अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़ा

नूरपुर। नगर में आवारा कुत्तों और बंदरों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए नगरपालिका परिषद ने अभियान शुरू किया है। इसके तहत अनुबंधित संस्था आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट, बिजनौर की टीम ने 20 आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टेरलाइजेशन और टीकाकरण के लिए बिजनौर भेजा। नगराध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल संजीव जोशी के नेतृत्व में व्यापारियों ने बंदरों के हमलों और आवारा कुत्तों के काटने की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद बंदरों को पकड़ने का अभियान भी चलाया गया। मंकी कैचर अनिल कुमार की टीम अब तक 283 बंदरों को पकड़ चुकी है, जिन्हें चिड़ियापुर के वन क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है। इस दौरान ईओ संतोष कुमार मिश्र, वीर सिंह, दीपक शर्मा, गुरप्रीत सिंह, नासिर आदि मौजूद रहे। संवाद

कुत्ते की टक्कर से बाइक गिरी, दूधिया घायल

मंडावली। गांव बाकरपुर निवासी सत्तार (50) सुबह गांव से दूध लेकर बाइक से नजीबाबाद बेचने जा रहा था। जैसे ही सत्तार गांव मिर्जापुर सैद उर्फ बुड्डी के पास पहुंचा, अचानक उसकी बाइक के सामने आवारा कुत्ते आ गए। कुत्ते से टकराकर बाइक सड़क पर गिर गई और सत्तार के हाथ-पैर, घुटने में चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीणों नसीम अहमद, संजीव सैनी, भोलू, शहाबुद्दीन ने बताया कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे आए दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग की है। संवाद

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

मण्डल कार्यालयः एआरएमबी, बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cs8204@pnb.co.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख बी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया रकम सी) 30.09.2026 तक मौजूदा बकाया रकम डी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख ई) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक कब्जा	(ए) रिजर्व मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	**शाखाः एआरएमबी, बिजनौर** **ऋणी फर्मः** मैसर्स ओम खादी सेवा संस्थान। **प्रोपराइटर/ऋणी/बंधककर्ताः** श्री मौहम्मद दिलशाद पुत्र श्री यूसुफ। **ऋणीः 1.** श्री मुस्कान राबिया पत्नी श्री नसीम अहमद। **2.** श्रीमती नजिमा खातून पत्नी श्री महमूद हसन। **गारन्टर/बंधककर्ताः** मौहम्मद अली पुत्र छूटटू खान।	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- इस्लाम नगर, निकट रोडवेज बस स्टेण्ड, नूरपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। कुल माप क्षेत्रफल 187.20 वर्ग मीटर, विक्रय विलेख दिनांक 28.04.1980, बही नं0 1, पेज नं0 1418 से 1423, क्र0सं0 1855 (सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद अली पुत्र छूटटन खान) सब-रजिस्ट्रार ऑफिस चांदपुर, जिला- चांदपुर (उ0प्र0)। सीमाएँः- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः हरि सिंह की आराजी, उत्तरः विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिणः चौधरी हरि सिंह की आराजी।	(ए) 18.09.2021 (बी) रू0 22,41,448.96 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.09.2021 (सी) रू0 33,00,198/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.10.2025 (डी) 08.12.2021 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 34,02,000/- रू0 3,40,200/- रू0 1,50,000/-	**24.10.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
2	**शाखा एआरएमबी, बिजनौर** राम सिंह फलोदिया एवं श्रीमती रविन्द्र कौर **ऋणी/बंधककर्ताः 1.** श्री राम सिंह फलोदिया पुत्र श्री पुरन सिंह। **2.** श्रीमती रविन्द्र कौर पत्नी श्री राम सिंह फलोदिया, **गारन्टरः** श्री राम अवतार पुत्र श्री बनवारी।	बंधक सम्पत्ति स्वामी श्री राम सिंह फलोदिया पुत्र श्री पुरन सिंह फलोदिया एवं श्रीमती रविन्द्र कौर फलोदिया पत्नी श्री राम सिंह फलोदिया, स्थित खसरा नं0 326 का भाग, स्थित मौहल्ला- संत नगर, कस्बा परगना एवं तहसील- चांदपुर, जिला- बिजनौर, कुल क्षेत्रफल 190.00 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 5170, पेज नं0 309 से 330, क्र0सं0 1408, दिनांक 04.02.2011, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस चांदपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है।	(ए) 16.02.2022 (बी) रू0 27,36,826.40 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.02.2022 (सी) रू0 38,96,973.40 + प्रभावी ब्याज दिनांक 31.12.2025 (डी) 24.02.2023 (ई) भौतिक कब्जा	रू0 26,56,250/- रू0 2,65,625/- रू0 1,00,000/-	**24.10.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
3	**शाखा एआरएमबी, बिजनौर** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव दत्त शर्मा, **गारन्टरः** श्री महेश पुत्र धर्मवीर।	बंधक सिंगल स्टोरी अधूरी आवासीय, सम्पत्ति स्वामी श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव दत्त शर्मा, स्थित ग्राम- कल्याणपुर उर्फ बिसठ परगना दारानगर, तहसील एवं जिला- बिजनौर (बिजनौर) (उ0प्र0)। कुल माप क्षेत्रफल 481.00 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 8759, पेज नं0 239-258, दस्तावेज नं0 954, दिनांक 01.02.2017 पर पंजीकृत है। सीमाएँः उत्तरः नाला तत्पश्चात् जूनियर हाई स्कूल, दक्षिणः 12 फीट चौड़ा रास्ता, पूर्वः श्री अखिलेख शर्मा का प्लॉट, पश्चिमः श्री पवन कुमार का मकान।	(ए) 02.09.2020 (बी) रू0 22,40,561/- + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 10.06.2020 (सी) रू0 47,62,986/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 31.05.2026 (डी) 27.11.2020 (ई) भौतिक कब्जा	रू0 22,35,000/- रू0 2,23,500/- रू0 1,00,000/-	**24.10.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तो के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। **2.** इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। **4.** ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा। 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिंत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री अभिनव कुमार, मो0 नं0 9873100792** से **पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः एआरएमबी, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वींति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई–नीलामी के नियम और शर्तें, ई–नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, शशीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थिगत/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवके है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें- **श्री शौकीन, मो0 नं0 9897342327.** 19. किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी दोनों पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

दिनांकः 03.10.2026 | स्थान – बिजनौर | प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार